राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

दिनाक 1.11.2007 को प्रात 11.00 बजे सभागार, कुलपति सचिवालय, प्रशासनिक कार्यालय राजस्थान कृषि विश्वद्यिालय बीकानेर में आयोजित प्रबन्ध मण्डल की 70वीं बैठक का कार्यवाही विवरणः

निम्नाकित सदस्य उपस्थित थे :–

1.	डॉ प्रताप नारायण	अध्यक्ष
2.	डा.सुरेश चौघरी ,विघायक	सदस्य
3.	डॉ भवानी सिंह	सदस्य
4.	डॉ उमा शंकर शर्मा	सदस्य
5.	श्री पोकर सिंह राठौड, परियोजना निदेशक (आयुक्त कृषि के नामित)	सदस्य
6.	डॉ के.एम.एल.पाठक	सदस्य
7.	डा. आर.ए.सिघानिया	सदस्य
8.	डा ए.के. श्रीवास्तव	सदस्य
9.	डा. जब्बर सिंह सोंलकी	सदस्य
10.	डा. पी. एल. नेहरा	सदस्य
11.	डॉ. स्वरूप सिंह	सदस्य
12.	श्री आर. के पाल	सदस्य
13.	श्री पाल सिहं	सदस्य सचिव

<u>आमंत्रित सदस्य</u>

1. **श्री राजकुमार दाधीच, (वित्त नियंत्रक)**

प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, प्रमुख शासन सचिव कृषि, सचिव पशु पालन, डॉ. मधुसूदन शर्मा, श्री रतन लाल डागा, सदस्य प्रबन्ध मण्डल बैठक में भाग नहीं ले सके ।

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति ने डॉ सुरेश चौधरी, विधायक, श्री पोकर सिंह राठौड व अन्य माननीय सदस्यों के बैठक में भाग लेने पर स्वागत किया साथ ही डॉ. आर. ए. शर्मा द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की तथा डॉ. स्वरूप सिंह के नये सदस्य मनोनीत होने पर स्वागत किया गया। कुलपति महोदय ने सम्मानित सदस्यों को अवगत कराया कि यह बैठक विशेष रूप से कैरियर एडवांस स्कीम के अन्तर्गत वरिष्ठ वेतनमान एवं चयनित ग्रेड हेतु पदोन्नति बाबत गठित चयन समिति की दिर्नोक 10.9.07 से 16.9.07 तक साक्षात्कार की अनुशंसा को खोलने व संलग्न शर्तानुसार अनुमोदन करने बाबत है।

राकृवि / बोम–70 / 2007–4 / 1065

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनॉक 03.8.2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत।

यह पारित(Resolved) किया गया कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनॉक 3.8.2007 के कार्यवाही विवरण की निम्न के साथ पुष्टि की जाएः–

राकृवि / बोम–69 / 2007–3 / 1060

माननीय सदस्यों ने दो वर्षीय पशुधन सहायक डिप्लोमा कोर्स शुरू किये जाने पर की जारी प्रकिया पर आपत्ति व्यक्त की। विश्वविद्यालय आदेश कमांक एफ /सामान्य/राकृवि/ग्रुप 2/07/581–630 दिनॉक 28.9.2007 जिसमें 46 संस्थाओं को अस्थाई एवं सशर्त सम्बद्वता प्रदान की गई इनमें से 5 ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें इस शर्त के साथ सम्बद्वता प्रदान की गई है कि वे तीन माह के अन्दर रिक्त पदों को भर कर विश्वद्यािलय को सूचित करेगें, पर आपत्ति व्यक्त की गई, साथ ही सम्बद्वता आदेश करने से पूर्व संस्थाओं का समिति द्वारा भौतिक सत्यापन एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश व सम्बद्वता देने हेतु प्रावधानों का परीक्षण किये बिना अस्थाई एवं सशर्त सम्बद्वता आदेश जारी किये जाने पर भी आपत्ति व्यक्त की गई। साथ ही अन्य संस्थाओं में भी जल्द से जल्द गठित कमेटी को भेजकर निरीक्षण करवाया जाना चाहिए, माननीय सदस्यों की राय थी। माननीय सदस्यों ने माननीय उच्च न्यायालय से पारित निर्णय की प्रति व विभिन्न गठित कमेटीयों की रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत करने के लिये कहा ।

डॉ ए.के.गहलोत, अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर को बैठक में आमंत्रित कर उक्त प्रकरण पर वस्तुस्थिति से सदन को अवगत कराने के लिये कहा गया । डॉ गहलोत ने सदन को अवगत कराया कि सरकार द्वारा दो वर्षीय पशुधन सहायक डिप्लोमा कोर्स के लिये जारी आदेश की प्रति प्राप्त हो गई हैं । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व गठित विभिन्न समितियों की रिपोर्ट जल्द से जल्द प्राप्त करने के प्रयास किये जायेगें ।

प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह पारित किया गया कि उक्त पॉचों संस्थाओं में जहां स्टॉफ व अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं वहॉ 14.11.2007 से पूर्व गठित कमेटी के सदस्य भौतिक सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें । चूंकि विश्वविद्यालय में दिनॉक 3.11.2007 से 13.11.2007 तक दीपावली अवकाश हैं इसलिये अधिष्ठाता पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय को अधिकृत किया जाता हैं कि भौतिक सत्यापन उपरोक्त समय में करवाया जाए । साथ ही जल्द से जल्द अन्य संस्थाओं का भी गठित समिति से भौतिक सत्यापन करवा कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। डॉ ए.के.गहलोत, माननीय उच्च न्यायालय से पारित आदेश व विभिन्न समितियों की रिपोर्ट जल्द से जल्द प्राप्त करें साथ ही विश्वविद्यालय के सम्बद्वता संबंधि प्रावधानों का परीक्षण कर शीघ्र प्रस्तुत करें ।

	राकृवि / बोम–69 / 2007–3 / 1060(2) **डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव माननीय सदस्य ने अधिष्ठाता एवं निदेशकों को देय मानदेय में पारित आदेश से MPUAT का हवाला देने पर आपत्ति व्यक्त की गई ।** पारित किया गया कि पारित निर्णय में से MPUAT word delete किया जाए और विश्वविद्यालय अधिष्ठाता / निदेशकों को देय मानदेय बढाने पर सहमति व्यक्त नहीं की गई । **राकृवि / बोम–69 / 2007–3 / 1064(5)** डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव, माननीय सदस्य ने पेंशन विकल्प के पुनः लेने के बारें में चर्चा की और विश्वविद्यालय द्वारा 24.8.2007 को जारी आदेश जिसमें पेंशन नियमों के अनुसार विकल्प एक बार ही दिया जाता हैं अतः नियमानुसार इस पर पुनः विचार नहीं किया जा सकता पर आपत्ति व्यक्त की और पुर्नविचार की आवश्यकता बताई। प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह पारित किया गया कि प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण न कर राज्य सरकार से वित्तिय स्वीकृति प्राप्त की जाऐ, जिससे निर्णायक विचार हो सकें।
राकृवि / बोम–70 / 2007–4 / 1066	**प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनॉक 03.8.2007 के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही बाबत।** यह पारित(Resolved) किया गया कि कार्यवाही विवरण के बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही पुष्टि की जाती हैं ।
राकृवि / बोम–70 / 2007–4 / 1067	**केरियर एड़वान्समेंट के अर्न्तगत वरिष्ठ वेतनमान एवं चयनित ग्रेड हेतु पदोन्नति बाबत गठित चयन समिति की दिनॉक 10.9.07 से 16.9.07 तक साक्षात्कार की अनुशंषा को खोलने व संलग्न शर्तानुसार अनुमोदन बाबत।** यह पारित(Resolved) किया गया कि केरियर एडरवांसमेट योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के आदेश कमांक F.2(12)Agri/Gr.2/2001 dated 19.1.2007 एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से प्राप्त पत्रांक F.No.1(02)/06 Per IV dated 13.2.2007 के दिशा निर्देश एवं स्पष्टीकरण पत्रांक DS(p)/RAU/Misc/2007 dated 1.10.2007 के अनुसार पात्रता धारक सहायक आचार्यो के वरिष्ठ वेतनमान एवं चयनित ग्रेड हेतु पदौन्नति बाबत दिनॉक 10.9.07 से 16.9.07 तक विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिये गये । चयन समिति के सम्मुख 70 सहायक आचार्यो ने सहायक आचार्य वरिष्ठ वेतनमान रूपये 10000–15200 एवं 163 सहायक आचार्यो वरिष्ठ वेतनमान ने सहायक आचार्य चयनित ग्रेड रूपये 12000–18300 हेतु साक्षात्कार में उपस्थित हुए । चयन समिति ने 70 सहायक आचार्यो को वरिष्ठ वेतनमान में पदौन्नति की अनुशंषा की एवं 158 सहायक आचार्यो को चयनित ग्रेड हेतु अनुशंषा की जिनका प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया । पॉच सहायक आचार्यो कमशः डॉ श्रीमति अमिता दास, डॉ ए.के.भंसाली, श्री डी.एस.राव(सेवानिवृत) के पदौन्नति की अनुशंषा नहीं की क्योंकि इन्होंने सेवानिवति से पूर्व आवश्यकता अनुरूप

	ओरियण्टेशन / रिफ्रेशर कोर्स पूरे नहीं किये, डॉ ए.के.चौधरी ने चयनित समिति के सम्मुख साक्षात्कार नहीं दिया अतः इनके प्रकरण को अगले केरियर एडवासमेंट स्कीम के समय प्रस्तुत किया जाए, एवं डा0 जी.ए.चन्दीरामानी की वार्षिक मूल्याकंन प्रतिवदेन की रिपोर्ट प्रतिकुल होने के कारण इन्हें योग्य नहीं माना गया । डॉ जी.एन.पुरोहित के पदौन्नति के प्रकरण में प्रबन्ध मण्डल ने इनकी पूर्ववर्ती सेवाओं को न जोडते हुए इन्हें पात्रता तिथि 10 मई 2005 से लाभ देने का अनुमोदन किया । प्रबन्ध मण्डल ने साथ ही निम्नांकित **प्रस्तावों का अनुमोदन कियाः–** अ. नियत तिथि उपरान्त किए गए ओरियन्टेशन / रिफ्रेशन कोर्स पाठयकम का अनुमोदन किया । ब. पूर्व में केरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत वरिष्ठ वेतनमान एवं चयनितं वेतनमान हेतु अस्वीकार अभ्यार्थियों को एक वर्ष पश्चात लाभ देने का अनुमोदन किया तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के पत्रांक No.F.3-3/2000(PS) dated 21.2.2002 को विश्वविद्यालय में अंगीकार करने का भी अनुमोदन किया स. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के पत्रांक F. No. DS(P)/RAU-Misc/2007 dated 1.10.2007 को विश्वविद्यालय में अंगीकार करने का भी अनुमोदन किया ।
राकृवि / बोम–70 / 2007–4 / 1068	**माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेशों की पुष्टि करने बाबत।** यह पारित(Resolved) किया गया कि माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेशों की पुष्टि की जाती हैं ।
राकृवि / बोम–70 / 2007–4 / 1069	**राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर से पशु पालन डिप्लोमा कोर्स हेतु अस्थायी रूप से सम्बद्व चार राजकीय पशुपालन विद्यालयों को सम्बद्वता शुल्क माफ करने हेतु विचारार्थ।** **प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर यह पारित(Resolved) किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्वता शुल्क राजकीय पशुपालन** विद्यालयों से भी लिया जाए क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा दो राजकीय कृषि महाविद्यालयों बाबा भगवानदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चिमनपुरा व राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाईमाधोपुर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्वता शुल्क जमा करा रहे हैं ।
राकृवि / बोम–70 / 2007–4 / 1070	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, हुनमानगढ के विकास करने बाबत। इस संदर्भ में निदेशक अनुसंधान कृषि के पत्र कमांक 7(186)डीआर / पी / 2007 / 1874 दिनॉक 31.10.2007 द्वारा प्रेषित टिप्पणी माननीय सदस्यों को प्रस्तुत की गई । जिससे कि माननीय विधायक ने सन्तुष्टता जताई।

राकृवि / बोम–70 / 2007–4 / 1071	**याचिका संख्या 1738 / 2003–जी.डी. शर्मा बनाम राकृवि, बीकानेर व राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनॉक 18.9.2007 के निर्देशानुसार पेंशन के पुर्नविकल्प पत्र हेतु डॉ. जी. डी. शर्मा के प्रकरण में प्रबन्ध मंडल द्वारा निर्णय लेने हेतु।** यह पारित(Resolved) किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनॉक 18.9.2007 की पालना में डॉ जी.डी..शर्मा को पेंशन पुर्नविकल्प देने के संबंध में माननीय न्यायालय में दायर डीबी स्पेशल अपील के निर्णय के अध्यधीन पालना की जावें । प्रकरण राज्यसरकार को वित्तीय स्वीकृत्ति हेतु प्रेषित किया जाए और वित्तीय स्वीकृति के पश्चात ही पालना की कार्यवाही की जाए ।
राकृवि / बोम–70 / 2007–4 / 1072	**अन्य कोई भी प्रकरण हो तो माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से विचार विमर्श करने बाबत।** माननीय सदस्य ने व्याख्याताओं को केरियर एण्डवांसमेंट स्कीम का लाभ देने हेतु पूरक कार्यसूची प्रस्तुत की । प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया और यह पारित(Resolved) किया गया कि व्याख्याताओं का विश्वविद्यालय में डाईग केडर हैं इसलिये नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

आसन के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई ।

(पालसिंह)
कुलसचिव एवं सदस्य सचिव

(प्रताप नारायण)
कुलपति एवं अध्यक्ष